न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 5/2018 (डूंगरपुर डिक्री)

1. वेलजी पिता श्री हीरा चमार, निवासी गामडा बामणिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. रतु पिता श्री हीरा चमार, निवासी गामडा बामणिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. शंकर मुतबन्ना नाथू चमार, निवासी गामडा बामणिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. गुलाबजी पुत्र गोवनजी चमार, निवासी गामडा बामणिया, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
दिनांक 24.05.2018 प्र.सं. 89/2009

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री भंवरलाल पण्डया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दिनेशचन्द्र चौबीसा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 17–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित सजरे अनुसार मूल पुरूष गौतम जी के दो पुत्र कचरू व गोवनजी हुए। कचरू का एक मात्र पुत्र रामा लाऔलाद फोत हो गया, जिससे उसकी सम्पूर्ण जमीन उसके काका गोवना के खाते हो गयी, जिसके 4 पुत्र हीरा, नाथू, नवला व गुलाबजी हुए। बडे पुत्र हीरा के खाते की जमीन अलग है, जिसके वारिस वादीगण हैं। दूसरे पुत्र नाथू की भी

मृत्यु हो चुकी है, जिसके कोई औलाद नहीं होने से उसने अपने सगे भाई गुलाबजी के पुत्र शंकर को गोद रखा। एक अन्य भाई नवला 20 वर्षो से लापता है तथा गुलाबजी जीवित हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित कुल खेत 17 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम गामडा ब्रहमणीया में स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है, उसमें नवला का 1/3 हिस्सा है, जबकि नवला 20 वर्षो से अधिक समय से लापता है। ऐसी स्थिति में नवला के 1/3 हिस्से की भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर वादीगण को उक्त आराजियात में बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम की गयी तथा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर क्षेत्राधिकार के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 24–05–2018 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री दिनेश चौबीसा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों ए में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर बिना अधिवक्ताओं की उपस्थिति के एवं बिना बहस सुने निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकियों पर कोई गौर नहीं किया है तथा साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण में पूर्ण सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत थी एवं उन्हें दिनांक 27–03–2018 को दिनांक 10–04–2018 के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, किन्तु 10–04–2018 को न्यायिक कार्य स्थगित होने की छाप लगी होकर प्रकरण में दिनांक 24–04–2018 की पेशी नियत की गयी, किन्तु दिनांक 24–04–2018 के स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 24–05–2018 को रखकर बिना प्रतिवादी की साक्ष्य लिये वादी का वाद क्षेत्राधिकार के बहार मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है, जबकि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकियात कायम की गयी थी, किन्तु उन पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है, जबकि उक्त तनकीयों पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर तनकीवार विवेचन किया जाना चाहिए था।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–04–2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:08:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: